संख्या-430/2022/2308/001-41-2022-03-SA-2020

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव**,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 16 जुलाई 2022**

विषयः- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कोरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने की परियोजना के प्रथम चरण में भवन ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-**2684**/6-1-1(1272)/202**1**-2**2** दिनांक 15 जुलाई 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मंदिर (कोरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने की परियोजना के प्रथम चरण में भवन ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था– लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित किये गये 03 कार्यों के आगणनों के सापेक्ष मूल्यांकित लागत के अनुसार शासनादेश संख्या-480/2021/ आई/102882/41-1002(001)/7/2021-03 (सा0)/2020 दिनांक 01.10.2021 द्वारा निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति रूपये लाख) (में	प्रथम किश्त रूपये)लाख में(
1	विन्ध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ 50 फीट के दायरे में परिक्रमापथ के चौडीकरण की जद में (गलियारा) आने वाले मकानों दुकानों के ध्वस्तीकरण एवं मलबा / निस्तारण का कार्य	**134.00**	**25.00**
2	विन्ध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ 50 फीट के दायरे में परिक्रमापथ परिसर को जो (गलियारा)ड़ने वाली प्रमुख चार गलियों के चौडीकरण की जद में आने वाले मकानों दुकानों के/ ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण का कार्य	**199.50**	**25.00**
3	विन्ध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ 50 फीट के दायरे में परिक्रमापथ परिसर को जो (गलियारा)ड़ने वाली प्रमुख गली कोतवाली गलीके चौडीकरण (अतिरिक्त भाग) की जद में आने वाले मकानों दुकानों के ध्वस्तीकरण एवं / मलबा निस्तारण का कार्य	**184.50**	**25.00**

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परियोजनाओं हेतु कार्यहित में द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करते हैं कि प्रायोजनाओं की टेण्डर्ड लागत, व्यय विवरण तथा सुसंगत अभिलेख अनिवार्य रूप से एक पक्ष के भीतर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	द्वितीय किश्त धनराशि) (लाख में 0रू
1	विन्ध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ 50 फीट के दायरे में परिक्रमापथ के चौडीकरण की जद में (गलियारा) आने वाले मकानों दुकानों के / ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण का कार्य	100.00 लाख
2	विन्ध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ 50 फीट के दायरे में परिक्रमापथ परिसर को जो (गलियारा)ड़ने वाली प्रमुख चार गलियों के चौडीकरण की जद में आने वाले मकानों दुकानों के/ ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण का कार्य	150.00 लाख
3	विन्ध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ 50 फीट के दायरे में परिक्रमापथ (गलियारा)परिसर को जोड़ने वाली प्रमुख गली कोतवाली गलीअतिरिक्त) के चौडीकरण (भाग की जद में आने वाले मकानों दुकानों के / ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण का कार्य	150.00 लाख
	कुल धनराशि	400.00 लाख

4. उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-480/2021/आई/102882/41-1002(001)/7/2021-03 (सा0)/2020 दिनांक 01.10.2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था व निदेशालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनाओं पर स्वीकृत धनराशि का व्यय टेण्डर लागत से अधिक न हो।

(3) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी।इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(8) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया गया।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 4,**0**0,00,000 (रू0 चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 के लेखाशीर्षक 5452801042700 जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-430/2022/2308/001-03-SA-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी ,मीरजापुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी ।
5- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मीरजापुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक पर्यटन वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल।
11- पर्यटन अधिकारी /आहरण वितरण अधिकारी, पर्यटन विन्ध्याचल मण्डल।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।